



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273569
CG-DL-E-18062026-273569

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3033]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3033]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 3154(अ). —केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में वेस्टर्न इन्दौर बाइपास के कि.मी. 8.8 से कि.मी.20.87 (देपालपुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देपालपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में वेस्टर्न इन्दौर बाइपास के कि.मी. 8.8 से कि.मी.20.87 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: इंदौर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: देपालपुर					
गांव का नाम: किशनपुरा					
1	14	निजी	सिंचित	0.1542 (हेक्टेयर)	0.1542
2	44/10	निजी	सिंचित	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
3	44/8	निजी	सिंचित	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
4	44/9	निजी	सिंचित	0.0023 (हेक्टेयर)	0.0023
5	54	निजी	सिंचित	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
6	66/2	निजी	सिंचित	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
7	68/1,2,3	निजी	सिंचित	0.0028 (हेक्टेयर)	0.0028
8	83	निजी	सिंचित	0.0043 (हेक्टेयर)	0.0043
9	85	निजी	सिंचित	0.0033 (हेक्टेयर)	0.0033
गांव का नाम: ललेंडीपुरा					

10	105/3/1	निजी	सिंचित	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
11	106	निजी	सिंचित	0.1229 (हेक्टेयर)	0.1229
12	108	निजी	सिंचित	0.0038 (हेक्टेयर)	0.0038
13	115/1/4	सरकारी	असिंचित	0.0012 (हेक्टेयर)	0.0012
14	117/1/1	निजी	सिंचित	0.384 (हेक्टेयर)	0.384
15	75	सामान्य	सिंचित/असिंचित	0.0054 (हेक्टेयर)	0.0054
16	83/2	निजी	सिंचित	0.0038 (हेक्टेयर)	0.0038
17	91/1	निजी	सिंचित	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
18	94/1/1	निजी	सिंचित	0.0019 (हेक्टेयर)	0.0019
19	94/1/3, 94/2	निजी	सिंचित	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
गांव का नाम: रोलाई					
20	146/5	निजी	सिंचित	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
21	151/2	निजी	सिंचित	0.0054 (हेक्टेयर)	0.0054
22	160/2	निजी	सिंचित	0.0009 (हेक्टेयर)	0.0009
23	161/1	निजी	सिंचित	0.0034 (हेक्टेयर)	0.0034
24	161/3/1	निजी	सिंचित	0.0024 (हेक्टेयर)	0.0024
25	161/4	निजी	सिंचित	0.0044 (हेक्टेयर)	0.0044
26	173/2	निजी	सिंचित	0.0115 (हेक्टेयर)	0.0115
27	178/1/1	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0179 (हेक्टेयर)	0.0179
28	180/1	निजी	सिंचित	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
29	180/2	निजी	सिंचित	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
30	181	निजी	सिंचित	0.0026 (हेक्टेयर)	0.0026
31	269	निजी	सिंचित	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
32	274/1	सरकारी	असिंचित	0.0073 (हेक्टेयर)	0.0073
33	278/4/1/2	निजी	सिंचित	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
34	278/4/1/3	निजी	सिंचित	0.0048 (हेक्टेयर)	0.0048
35	278/7	निजी	सिंचित	0.0043 (हेक्टेयर)	0.0043
36	288/2	निजी	सिंचित	0.001 (हेक्टेयर)	0.001

37	289	निजी	सिंचित	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
38	311/2	निजी	सिंचित	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
39	315	निजी	सिंचित	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
40	322/1	निजी	सिंचित	0.0033 (हेक्टेयर)	0.0033
41	382	निजी	सिंचित	0.0043 (हेक्टेयर)	0.0043
गांव का नाम: बेटमाखुर्द					
42	284	सामान्य	सिंचित/तालाब	0.6077 (हेक्टेयर)	0.6077
43	285/1	निजी	सिंचित	0.0687 (हेक्टेयर)	0.0687
44	489/2	निजी	सिंचित	0.0537 (हेक्टेयर)	0.0537
गांव का नाम: मोहना					
45	13/2	निजी	सिंचित	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
46	14/1	निजी	सिंचित	0.0013 (हेक्टेयर)	0.0013
47	14/4/3	निजी	सिंचित	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
48	15/4	निजी	सिंचित	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
49	173/1/1	निजी	सिंचित	0.0021 (हेक्टेयर)	0.0021
50	173/1/2	निजी	सिंचित	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
51	173/6/2	निजी	सिंचित	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
52	173/7	निजी	सिंचित	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
53	176/2	निजी	व्यपवर्तित	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
54	177/2	निजी	सिंचित	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039
55	179	निजी	व्यपवर्तित	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
56	24/5	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0012 (हेक्टेयर)	0.0012
Total					1.548

[फा.सं. NHA/RO-BPL/PIU-IND/DPR/IRR/207726/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th June, 2026

S.O. 3154(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning/Six laning etc.), maintenance, management and operation of Western Indore Bypass in the stretch of land from Km. 8.8 to Km. 20.87 (Depalpur) in the district of INDORE in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Revenue Depalpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Western Indore Bypass in the stretch of land from Km. 8.8 to Km. 20.87 (Depalpur) in the District of INDORE in the State of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: INDORE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Depalpur					
Village: Kishanpura					
1	14	Private	Irrigated	0.1542 (Hectare)	0.1542
2	44/10	Private	Irrigated	0.0017 (Hectare)	0.0017
3	44/8	Private	Irrigated	0.0017 (Hectare)	0.0017
4	44/9	Private	Irrigated	0.0023 (Hectare)	0.0023
5	54	Private	Irrigated	0.0042 (Hectare)	0.0042
6	66/2	Private	Irrigated	0.0031 (Hectare)	0.0031
7	68/1,2,3	Private	Irrigated	0.0028 (Hectare)	0.0028
8	83	Private	Irrigated	0.0043 (Hectare)	0.0043
9	85	Private	Irrigated	0.0033 (Hectare)	0.0033
Village: Lalendipura					
10	105/3/1	Private	Irrigated	0.001 (Hectare)	0.001
11	106	Private	Irrigated	0.1229 (Hectare)	0.1229
12	108	Private	Irrigated	0.0038 (Hectare)	0.0038
13	115/1/4	Government	Non Irrigated	0.0012 (Hectare)	0.0012
14	117/1/1	Private	Irrigated	0.384 (Hectare)	0.384
15	75	Common	Irrigated/Non Irrigated	0.0054 (Hectare)	0.0054
16	83/2	Private	Irrigated	0.0038 (Hectare)	0.0038
17	91/1	Private	Irrigated	0.0011 (Hectare)	0.0011
18	94/1/1	Private	Irrigated	0.0019 (Hectare)	0.0019

19	94/1/3, 94/2	Private	Irrigated	0.0015 (Hectare)	0.0015
Village: Rolai					
20	146/5	Private	Irrigated	0.001 (Hectare)	0.001
21	151/2	Private	Irrigated	0.0054 (Hectare)	0.0054
22	160/2	Private	Irrigated	0.0009 (Hectare)	0.0009
23	161/1	Private	Irrigated	0.0034 (Hectare)	0.0034
24	161/3/1	Private	Irrigated	0.0024 (Hectare)	0.0024
25	161/4	Private	Irrigated	0.0044 (Hectare)	0.0044
26	173/2	Private	Irrigated	0.0115 (Hectare)	0.0115
27	178/1/1	Government	Irrigated	0.0179 (Hectare)	0.0179
28	180/1	Private	Irrigated	0.003 (Hectare)	0.003
29	180/2	Private	Irrigated	0.0011 (Hectare)	0.0011
30	181	Private	Irrigated	0.0026 (Hectare)	0.0026
31	269	Private	Irrigated	0.0015 (Hectare)	0.0015
32	274/1	Government	Non Irrigated	0.0073 (Hectare)	0.0073
33	278/4/1/2	Private	Irrigated	0.005 (Hectare)	0.005
34	278/4/1/3	Private	Irrigated	0.0048 (Hectare)	0.0048
35	278/7	Private	Irrigated	0.0043 (Hectare)	0.0043
36	288/2	Private	Irrigated	0.001 (Hectare)	0.001
37	289	Private	Irrigated	0.0015 (Hectare)	0.0015
38	311/2	Private	Irrigated	0.002 (Hectare)	0.002
39	315	Private	Irrigated	0.001 (Hectare)	0.001
40	322/1	Private	Irrigated	0.0033 (Hectare)	0.0033
41	382	Private	Irrigated	0.0043 (Hectare)	0.0043
Village: Betma Khurd					
42	284	Common	Irrigated/Pond	0.6077 (Hectare)	0.6077
43	285/1	Private	Irrigated	0.0687 (Hectare)	0.0687
44	489/2	Private	Irrigated	0.0537 (Hectare)	0.0537

Village: Mohna					
45	13/2	Private	Irrigated	0.001 (Hectare)	0.001
46	14/1	Private	Irrigated	0.0013 (Hectare)	0.0013
47	14/4/3	Private	Irrigated	0.0031 (Hectare)	0.0031
48	15/4	Private	Irrigated	0.002 (Hectare)	0.002
49	173/1/1	Private	Irrigated	0.0021 (Hectare)	0.0021
50	173/1/2	Private	Irrigated	0.0017 (Hectare)	0.0017
51	173/6/2	Private	Irrigated	0.0017 (Hectare)	0.0017
52	173/7	Private	Irrigated	0.0011 (Hectare)	0.0011
53	176/2	Private	Diverted	0.003 (Hectare)	0.003
54	177/2	Private	Irrigated	0.0039 (Hectare)	0.0039
55	179	Private	Diverted	0.002 (Hectare)	0.002
56	24/5	Government	Agriculture	0.0012 (Hectare)	0.0012
Total					1.548

[F. No. NHAI/RO-BPL/PIU-IND/DPR/IRR/207726/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director